भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *253**

दिनांक 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि उत्पादों का निर्यात

***253. श्री चंद्र शेखर साहू:**

डॉ॰ सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि, बागवानी, बागान, मत्स्यपालन, चीनी और डेयरी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विशेष रूप से महाराष्ट्र में विशेष उद्योगों और संकुल के रूप में विकास करने हेतु मदों की संभावना रखने वाले जिलों को चिन्हित करने का विचार है ताकि उस क्षेत्र का विकास किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों ने भारत के कृषि क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इससे कृषि उत्पाद के लिए अच्छी कीमत प्राप्त करने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और अब तक इससे कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

*****

श्री चंद्र शेखर साहू और डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा 'कृषि निर्यात' के संबंध में दिनांक 10.07.2019 के लिए नियत लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 253 में संदर्भित विवरण ।

(क) : भारत, एक बड़े और विविध कृषि के साथ, अनाज, दूध, चीनी , फल और सब्जियों, मसालों, अंडे और समुद्री खाद्य उत्पादों का दुनिया के अग्रणी उत्पादकों में से एक है । हाल की वृद्धि दर दर्शाती है कि घरेलू मांग में वृद्धि की तुलना में कृषि- खाद्य उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और निर्यात के लिए अधिशेष की मात्रा में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी बाजारों पर कब्जा करने के लिए गुंजाइश और अवसर प्रदान करता है और उत्पादकों को कृषि उपज के लिए उच्च मूल्य अर्जित करने में सक्षम बनाता है।

(ख): कृषि निर्यात नीति के तहत, कई विशिष्ट उत्पाद-जिला समूहों को उत्पादन के अधिक केंद्रित फसल पूर्व और पश्चात प्रबंधन के लिए और साथ ही इन समूहों से निर्यात के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के उन्नयन के लिए पहचाना गया है। इन समूहों की निर्यात, निर्यातकों के संचालन, परिचालन की मापनीयता, निर्यात बाजार के आकार / भारत के हिस्से, एसपीएस आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता और अल्पावधि में निर्यात में वृद्धि की संभावना में योगदान करने वाले मौजूदा उत्पादन के आधार पर पहचान की गई है। महाराष्ट्र में पहचाने गए समूहों सहित ऐसे समूहों की सूची **अनुबंध-I** पर है।

(ग): कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों में 61 देशों के साथ 65 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं । इन समझौता ज्ञापनों /करारों में सहयोग के लिए क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ कृषि में निवेश को बढ़ाने, अनुसंधान और विकास में सहयोग, उत्पादकता में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, फसल पश्चात प्रबंधन, मूल्य संवर्धन / खाद्य प्रसंस्करण, पादप संरक्षण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन शामिल हैं। ।

(घ) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में निवेश , बुनियादी ढांचे के विकास और विपणन के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता के उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होगा ।

(ड.) किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। वर्ष 2018-19 सीजन में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति में, किसानों को लाभ के मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन दिया गया है।

सरकार चार प्रमुख तत्वों के साथ कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू / पुन: पेश कर रही है: इनपुट लागत को कम करना; उत्पाद के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना; अपव्यय को कम करना; और आय के वैकल्पिक स्रोतों का निर्माण करना । किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार की कुछ प्रमुख पहलें हैं सॉयल हेल्थ कार्ड (एसएचसी), गुणवत्तायुक्त

बीज का उत्पादन और उपलब्धता, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), ई- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एनएमएसए), मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच), नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एनपीडीडी), नेशनल डेयरी प्लान-I (एनडीपी-I), डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम (डीईडीएस), डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना (डीआईडीएफ), डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन (एसडीसीएफपीओ) नीली क्रांति आदि । इसके अलावा, सरकार डेयरी, कुक्कट पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है, जो आय पूरक के माध्यम से कृषि फसलों पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करेगा।

सरकार ने एक नई अम्ब्रेला स्कीम 'प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान '(पीएम-एएएसएचए) को भी मंजूरी दी है । इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए केंद्रीय बजट 2018 के लिए घोषित किए गए मूल्य को सुनिश्चित करना है, जो कि वर्तमान खरीफ विपणन सीजन से खरीद को बढ़ाने की परिकल्पना करता है ।

अंतरिम बजट 2019-20 में, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक एक नये कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत, 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों को 6,000 रू. प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जानी थी। अब, देश के सभी भूमि धारक किसानों (कुछ बहिष्करणों के अध्यधीन) को योजना के दायरे में लाया गया है।

****

समूहों की सूची

उत्पाद	क्षेत्र	राज्य	जिला
केला	दक्षिण	केरल	त्रिशूर , वायनाड , तिरुवनंतपुरम
		आंध्र प्रदेश	कडप्पा , अनंतपुर
		तमिलनाडु	त्रिची , थेनी , पोलाची
	पश्चिम	महाराष्ट्र	जलगाँव , कोल्हापुर, सोलापुर
		गुजरात	भरूच , नर्मदा, सूरत
अनार	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर , कुरनूल
		कर्नाटक	बेलगाम, मैसूर
	पश्चिम	महाराष्ट्र	सोलापुर , अहमदनगर , पुणे
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	खरगोन , खंडवा , बुरहानपुर
आम	पश्चिम	महाराष्ट्र	रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग
		गुजरात	जूनागढ़ , वलसाड , कच्छ, नवसारी
	उत्तर	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ
	दक्षिण	तेलंगाना	रंगारेड्डी , महबूबनगर , वारंगल
		आंध्र प्रदेश	कृष्णा, चित्तूर , कुरनूल
अंगूर	पश्चिम	महाराष्ट्र	पुणे , नासिक, सांगली
गुलाब प्याज	दक्षिण	कर्नाटक	बैंगलोर ग्रामीण, चिक्काबल्लपुरा
प्याज	पश्चिम	महाराष्ट्र	नासिक
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	इंदौर, सागर , दमोह
आलू	उत्तर	उत्तर प्रदेश	आगरा, फरुखाबाद
		पंजाब	जालंधर , होशियारपुर , कपूरथला , नवाशेहर
	पश्चिम	गुजरात	बनासकांठा , साबरकांठा
	केंद्रीय	मध्य प्रदेश	इंदौर, ग्वालियर
चाय	पूर्व	असम	तिनसुकिया , सिबसागर , डिब्रूगढ़
कॉफ़ी	दक्षिण	कर्नाटक	चिक्कमगलुरु , कोडगु , हासन
समुद्री उत्पाद	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम , पश्चिम गोदावरी, नेल्लोर
	पूर्व	ओडिशा	जगतसिंहपुर , भद्रक , बालासोर
	पश्चिम	गुजरात	कच्छ, वेरावल , नवसारी , वलसाड
मिर्च	दक्षिण	तेलंगाना	खम्मम , वारंगल
		आंध्र प्रदेश	गुंटूर
हल्दी	दक्षिण	तेलंगाना	निजामाबाद , करीमनगर
		केरल	वायनाड , एलेप्पी
	पूर्व	मेघालय	वेस्ट जैंतिया हिल्स
	पूर्व	ओडिशा	कंधमाल
जीरा	पश्चिम	गुजरात	बनासकांठा , मेहसाणा
	उत्तर	राजस्थान	जालोर , जोधपुर, बाड़मेर , नागौर , पाली
मिर्च	दक्षिण	केरल	वायनाड
	दक्षिण	कर्नाटक	चिकमंगलूर
इलायची	दक्षिण	केरल	इडुक्की
इसबगोल	उत्तर	राजस्थान	जोधपुर, नागौर , बाड़मेर , जैसलमेर
अरंडी	पश्चिम	गुजरात	बनासकांठा , कच्छ, पाटन , साबरकांठा , मेहसाणा
नारंगी	पश्चिम	महाराष्ट्र	नागपुर, अमरावती, वर्धा